बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संоसं0–4/निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)–46–02/2025– 339

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
भागलपुर, औरंगाबाद, मुंगेर एवं बक्सर।

पटना, दिनांक–30/03/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि मद में कुल ₹10,01,754/–(दस लाख एक हजार सात सौ चौवन रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि मद में कुल ₹10,01,754/–(दस लाख एक हजार सात सौ चौवन रू0) मात्र का आवंटन दी जाती है।

2–कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में आय व्यय शीर्ष माँग सं0–44–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यको का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–0003–आवासीय विद्यालय–विषय शीर्ष–0003.01.01–वेतन मद एवं 0003.01.04–मकान किराया भत्ता विपत्र कोड सं0–44–2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3–इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4–वित्त विभाग के पत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5–संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6–संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए किया जाएगा।

7–आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय। ।

विश्वासभाजन,

30-3-26

निदेशक

ज्ञापांक–4/निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)–46–02/2025– 339 पटना, दिनांक–30/03/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/ आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30-3-26

निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में वेतनादि मद में आवंटित राशि की विवरणी।

(राशि–रू0 में)

क्र0 सं0	जिला	वेतन मद (01.01)	मकान किराया भत्ता (01.04)	कुल योग
1	**भागलपुर**	88754	0	88754
2	**औरंगाबाद**	350000	0	350000
3	**मुंगेर**	358000	145000	503000
4	**बक्सर**	60000	0	60000
कुल योग		**856754**	**145000**	**₹10,01,754**

कुल राशि (दस लाख एक हजार सात सौ चौवन रू0) मात्र

30-3-26

निदेशक